

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी (राज०)

प्रार्थना-पत्र संख्या :- 64 / 2023
GCMS NO:- 2023/100

दायर दिनांक: 24.03.2023
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती प्रीति मीणा

रामनाथ पुत्र मोडू जाति कीर नि० दुगारी तहसील नैनवाँ।

- प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नैनवाँ जिला बून्दी।
2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय, बून्दी।

-प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्र:- अंतर्गत धारा 251क एआर.टी एक्ट

उपस्थिति-

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेश योगी।

निर्णय दिनांक 17.06.2025

:-निर्णय:-

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त कृषि आराजी ग्राम दुगारी में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 1245, 1247 कुल किता 2 कुल रकबा 3.5515 हैक्टर है। उक्त भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 1/3 निहित चला आ रहा है।

यह कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1247 में आने जाने के लिए कोई रास्ता विद्यमान नहीं है, प्रार्थी को अपनी कृषि आराजी व कृषि उपज को लाने ले जाने में काफी असुविधाएं आती हैं। अपने खेत की हकाई जुताई के लिए ट्रैक्टर खेत पर नहीं जा सकता। पड़ोसी खातेदारों से आये दिन लड़ाई झगडा होता है। पड़ोसी कृषकों द्वारा जानबूझकर प्रार्थी के कार्य में आने जाने के लिए व्यवधान उत्पन्न करते हैं। राजकीय सिवायचक भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किये हुए हैं। आने के लिए कहते हैं तो प्रार्थी के साथ गाली गलौच व मारपीट करने पर आमादा हो जाते हैं। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। यह कि प्रार्थी को परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाये गए रास्ते मुताबिक उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में 20 फुट चौड़ा रास्ता घोषित करवाकर राजस्व नक्शे व समस्त राजस्व रिकॉर्ड में इस आशय का अंकन करवाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। हमने प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी द्वारा जिस खसरा नम्बर 1247 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह शामिल खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नहीं हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली में धारा 251क के तहत रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नहीं है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ